राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

कमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018–II जयपुर, दिनांक : 02-08-2019

गेहूं आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2019

(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश कमांक 1–8/2013–बी.पी.–III, दिनांक 26.09.2013 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के कम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों को 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से पात्रतानुसार माह सितम्बर,2019 हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न(गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। माह सितम्बर,2019 के पेटे गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों को 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1.00 रूपये प्रतिकिग्रा.
द्वितीय	PHH (Others)	2.00 रूपये प्रतिकिग्रा.

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.08.2019 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह सितम्बर,2019 का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतदद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकानों को गेहूं की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान पर दोनों श्रेणियों (प्रथम श्रेणी–अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी– PHH अन्य श्रेणी) के राशनकार्डो की संख्या के आधार पर की जाएगी।

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी।

7– जिलेवार खाद्यान्न(गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

8– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार 1.00 रूपये प्रतिकिग्रा. की दर से गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सके।

9– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

10– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

11– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी तथा जिला स्तर से गेहूं का समर्पण नहीं किया जाए। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर –

(अ) समर्पण के प्रस्ताव जिला कलक्टर(रसद) के माध्यम से समुचित कारण (Justifications) सहित प्रेषित किए जाए।

(ब) गेहूं का समर्पण भी श्रेणीवार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल) एवं द्वितीय श्रेणी (PHH अन्य श्रेणी) में गेहूं के समर्पण का रिकॉर्ड पृथक–पृथक संधारित किया जाएगा।

12– माह सितम्बर,2019 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह सितम्बर,2019 तक का खाद्यान्न(गेहूं) उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

sd/-

(महेन्द्र सिंह राठौड)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2018–II जयपुर, दिनांक : 02-08-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
6. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि माह सितम्बर,2019 हेतु आवंटित गेहूं की मात्रा का निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित करावें।
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थियों) हेतु जिलेवार आवंटन माह सितम्बर, 2019

S.No.	District	Category wise final allotment				Final Allotment (K.G)	Final Allotment (M.T.)
		1 Rs per K.G			2 Rs per K.G		
		Final NFSA AAY Allotment (K.G.)	Final NFSA BPL Allotment (K.G.)	Final NFSA SBPL Allotment (K.G.)	Final NFSA PHH (Others) Allotment (K.G.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ajmer	646485.00	1145075.00	466295.00	6065920.00	8323775.00	8323.78
2	Alwar	721875.00	1731235.00	601820.00	9951720.00	13006650.00	13006.65
3	Banswara	1568630.00	2935870.00	897790.00	3189925.00	8592215.00	8592.22
4	Baran	1608460.00	1017540.00	231775.00	2626880.00	5484655.00	5484.66
5	Barmer	830550.00	2970535.00	466630.00	5480975.00	9748690.00	9748.69
6	Bharatpur	532490.00	1678925.00	403630.00	5640770.00	8255815.00	8255.82
7	Bhilwara	881965.00	1989875.00	665685.00	4561400.00	8098925.00	8098.93
8	Bikaner	413700.00	2390390.00	528345.00	3278865.00	6611300.00	6611.30
9	Bundi	449680.00	848500.00	254125.00	2255735.00	3808040.00	3808.04
10	Chittaurgarh	1003240.00	1127805.00	712600.00	2393270.00	5236915.00	5236.92
11	Churu	803740.00	2180785.00	462590.00	3603180.00	7050295.00	7050.30
12	Dausa	364735.00	1317410.00	199115.00	4155385.00	6036645.00	6036.65
13	Dhaulpur	318605.00	914565.00	193770.00	3159785.00	4586725.00	4586.73
14	Dungarpur	1111075.00	3040005.00	417235.00	2365220.00	6933535.00	6933.54
15	Ganganagar	414190.00	1566820.00	181310.00	3732505.00	5894825.00	5894.83
16	Hanumangarh	491960.00	1211870.00	215230.00	3425415.00	5344475.00	5344.48
17	Jaipur	470540.00	1948095.00	621990.00	12181285.00	15221910.00	15221.91
18	Jaisalmer	224595.00	590265.00	152210.00	1254650.00	2221720.00	2221.72
19	Jalor	774725.00	1802940.00	390400.00	3170610.00	6138675.00	6138.68
20	Jhalawar	562625.00	1355595.00	349240.00	3474805.00	5742265.00	5742.27
21	Jhunjhunun	323855.00	637945.00	245910.00	4883070.00	6090780.00	6090.78
22	Jodhpur	300755.00	2138925.00	242760.00	7576390.00	10258830.00	10258.83
23	Karauli	578795.00	1797450.00	337065.00	2309405.00	5022715.00	5022.72
24	Kota	342615.00	1343855.00	208450.00	3061280.00	4956200.00	4956.20
25	Nagaur	597380.00	1662540.00	453295.00	9573935.00	12287150.00	12287.15
26	Pali	676620.00	1605450.00	417420.00	4266325.00	6965815.00	6965.82
27	Pratapgarh	497840.00	1355785.00	332175.00	1731415.00	3917215.00	3917.22
28	Rajsamand	672175.00	1187390.00	318085.00	2377245.00	4554895.00	4554.90
29	Sawai Madhopur	537285.00	1007765.00	367525.00	2465185.00	4377760.00	4377.76
30	Sikar	305865.00	963345.00	214470.00	7497600.00	8981280.00	8981.28
31	Sirohi	367430.00	755555.00	240645.00	2688940.00	4052570.00	4052.57
32	Tonk	594475.00	1069345.00	451465.00	3160060.00	5275345.00	5275.35
33	Udaipur	1860565.00	4662150.00	990540.00	5366295.00	12879550.00	12879.55
Total		21849520.00	53951600.00	13231590.00	142925445.00	231958155.00	231958.16

(महेन्द्र सिंह राठौड़)
उपायुक्त (द्वितीय)